



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20012023-242103  
CG-DL-E-20012023-242103

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 313]  
No. 313]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 19, 2023/पौष 29, 1944  
NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 19, 2023/PAUSHA 29, 1944

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

(पशुपालन और डेयरी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जनवरी, 2023

का.आ. 327(अ).— भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 (1984 का 52) की पहली अनुसूची में, पशु-चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन, जालुकी, पेरेन, नागालैंड के महाविद्यालय के संबंध में, इसके द्वारा अनुदानिक पशु-चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन के स्नातक की डिग्री के सम्मिलित करने के लिए केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इंफाल, मणिपुर से अनुरोध प्राप्त हुआ है ;

और, भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् (पशु-चिकित्सा महाविद्यालयों की मान्यता और मान्यता रद्द करने की प्रक्रिया तथा पशु-चिकित्सा विज्ञान अर्हता) नियम, 2017 के नियम 10 के उपबंधों के अनुसार, भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् ने अपनी 69वीं रिपोर्ट में भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् की कार्यकारी समिति की रिपोर्ट पर विचार किया और पहली अनुसूची में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इंफाल, मणिपुर द्वारा अनुदानित उक्त डिग्री के सम्मिलित होने के लिए सिफारिश किया ।

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 (1984 का 52) की धारा 15 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् से परामर्श करने के पश्चात्, उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची में, निम्नलिखित संशोधन करती है :—

भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 की पहली अनुसूची में, “उपाधियां” उपशीर्षक के नीचे, क्रम संख्यांक 66 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

| 1                                                                  | 2                                          | 3                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| “66. (i) पशु-चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन, जालुकी, पेरेन, नागालैंड। | पशु-चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन में स्नातक | पशु-चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन में स्नातक (यह अर्हता पशु-चिकित्सा अर्हता के रूप में तभी मान्यताप्राप्त होगी, जब यह 31.12.2021 को या उसके पश्चात् प्रदान की गई हो।)।”। |

[फा. सं. के-12052-6/5/2016-एलएच (ई-135)]

उपमन्यू बसु, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING****(Department of Animal Husbandry and Dairying)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th January, 2023

**S.O. 327(E).**—WHEREAS a request has been received from the Central Agricultural University, Imphal, Manipur for inclusion of the Bachelor of Veterinary Science and Animal Husbandry degree granted by it in respect of College of Veterinary Science and Animal Husbandry, Jalukie, Peren, Nagaland, in the First Schedule to the Indian Veterinary Council Act, 1984 (52 of 1984);

AND WHEREAS the Veterinary Council of India in its 69th meeting considered the report of the executive Committee of the Veterinary Council of India and recommended for inclusion of the said degree granted by Central Agricultural University, Imphal, Manipur in the First Schedule, as per provisions of rule 10, of Veterinary Council of India (Procedure for recognition and de-recognition of Veterinary Colleges and Veterinary Qualifications) Rules 2017.

Now, THEREFORE, In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 15 of the Indian Veterinary Council Act, 1984 (52 of 1984) the Central Government, after consulting the Veterinary Council of India, hereby makes the following amendment in the FIRST SCHEDULE to the said Act:-

In the First Schedule to the Indian Veterinary Council Act, 1984, under sub-heading "Degrees", after serial number 66 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:--

| 1                                                                                     | 2                                                   | 3                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| “66 (i) College of Veterinary Science and Animal Husbandry, Jalukie, Peren, Nagaland. | Bachelor of Veterinary Science and Animal Husbandry | Bachelor of Veterinary Science and Animal Husbandry (This qualification shall be a recognised veterinary qualification only when granted on or after 31.12.2021. |

[F. No. K-12052-6/5/2016-LH (E-135)]

UPAMANYU BASU, Jt. Secy.